भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 238
उत्तर देने की तारीख 11 दिसम्बर, 2024

डिजिटल इंडिया अभियान

***238. श्री शंकर लालवानी:**

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने डिजिटल इंडिया अभियान के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसका कारण क्या हैं;

(ग) दूरसंचार सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने बीएसएनएल में निवेश और रोजगार के लिए कोई योजना बनाई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
संचार एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) से (ङ) विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

"डिजिटल इंडिया अभियान" के संबंध में दिनांक 11 दिसंबर, 2024 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 238 के भाग (क) से (ङ) के संबंध में लोक सभा के पटल पर रखा जाने वाला विवरण

(क) और (ख) ग्रामीण और सुदूरवर्ती क्षेत्रों में डिजिटल सुविधाएं प्रदान करने के लिए डिजिटल साक्षरता और ई-गवर्नेंस सेवाओं में सुधार करने के लिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत कई स्कीमें/परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं:

- प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीदिशा)
- राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क
- भाषिणी
- राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन
- आधार
- सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी)
- डिजिलॉकर
- यूनिफ़ाइड मोबाइल ऐप फॉर न्यू एज गवर्नेंस (उमंग)
- माईस्कीम
- एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस
- डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्टर फॉर नॉलेज शेयरिंग
- मेरी पहचान
- ई-अस्पताल/ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली (ओआरएस)
- ई-संजीवनी
- जीवन प्रमाण

इसके अलावा, इंटरनेट कनेक्टिविटी में सुधार करने के लिए सरकार देश के ग्रामीण, सुदूरवर्ती और पहाड़ी क्षेत्रों में मोबाइल टावरों की संस्थापना करके डिजिटल भारत निधि (पूर्व में यूएसओएफ) के तहत विभिन्न स्कीमों/परियोजनाओं को कार्यान्वित कर रही है। 4जी सैचुरेशन परियोजना का उद्देश्य देश के सेवा से वंचित 24,680 गांवों में 4जी मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना है। इसके अलावा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 28 राज्यों और 8 संघ राज्य-क्षेत्रों में सभी 2.64 लाख ग्राम पंचायतों और मांग के आधार पर लगभग 3.8 लाख गांवों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए भारतनेट के कार्यक्षेत्र का विस्तार करने के लिए 1,39,579 करोड़ रुपए के वित्तपोषण के साथ संशोधित भारतनेट कार्यक्रम को अनुमोदित किया है।

(ग) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (टीआरएआई) समय-समय पर जारी किए गए सेवा गुणवत्ता संबंधी विनियमों के जरिये सेवा गुणवत्ता संबंधी विभिन्न पैरामीटरों के लिए निर्धारित बैंचमार्क के अनुसार सेवा प्रदाताओं के कार्य-निष्पादन की निगरानी करता है।

हाल ही में, दिनांक 02.08.2024 को टीआरएआई ने दिनांक 1 अक्टूबर 2024 से प्रभावी होने वाले एक्सेस (वायरलाइन और वायरलेस) और ब्रॉडबैंड (वायरलाइन और वायरलेस) सेवा की सेवा गुणवत्ता के मानक विनियम, 2024 को अधिसूचित किया है, जो पहले की तुलना में अधिक सख्त हैं क्योंकि वे प्रत्येक बेस ट्रांसीवर स्टेशन (बीटीएस) स्तर पर दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) के नेटवर्क निष्पादन के संबंध में बेहतर जानकारी देते हैं। टीआरएआई द्वारा जारी किया गया सेवा की गुणवत्ता संबंधी नया विनियम तीन अलग-अलग विनियमों को प्रतिस्थापित करता है और यह वायरलाइन, वायरलेस एक्सेस और ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिए एक सामान्य विनियम है।

(घ) और (ङ) सरकार ने बीएसएनएल के पुनरुद्धार को अनुमोदित कर दिया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ स्पेक्ट्रम का प्रशासनिक रूप से आवंटन करने, बीएसएनएल की बैलेंस शीट पर दबाव कम करने, बीएसएनएल सेवाओं के उन्नयन के लिए कंपनी में नई पूंजी का निवेश करने, समायोजित सकल राजस्व बकायों का भुगतान करने, पूंजीगत व्यय का प्रावधान करने, प्राधिकृत शेयर पूंजी में वृद्धि करने, अधिमान शेयरों का शोधन करने, बीबीएनएल का बीएसएनएल के साथ विलय करने आदि का प्रावधान है।

बीएसएनएल की व्यावसायिक आवश्यकताओं और सेवाओं के अभिसरण तथा दूरसंचार उपकरणों और प्रचालनों के तीव्र विकास को ध्यान में रखते हुए, बीएसएनएल का वर्तमान कुशल कार्यबल बीएसएनएल में जारी कार्य संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

*****